बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या : लो०सू०को० (परिपत्र)–01/2017 **पटना, दिनांक ....**

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)–सह–लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
बिहार राज्य पथ विकास निगम, बिहार, पटना।
लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
सभी लोक सूचना पदाधिकारी/सभी प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार (रा०उ०प०सहित)।

विषय : राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना में दायर वाद सं०–ए8043/2017 श्री निखिल कुमार सिंह, पटना बनाम् प्रथम अपीलीय प्राधिकार, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, जिला–गया/लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, जिला–गया में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–11902 दिनांक–05.09.2018 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–23.07.2018 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

(शैलेन्द्र कुमार)

ज्ञाप सं०–.. पटना,दिनांक–...

प्रतिलिपि : अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके पत्रांक–21/रा०सू०आ०–05/2016, सा०प्र०–11902 दिनांक–05.09.2018 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

(शैलेन्द्र कुमार)

ज्ञाप सं०–......7326(3)......... पटना,दिनांक–......20/9/18..........

प्रतिलिपि : आई.टी. मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

19.9.18

(शैलेन्द्र कुमार)

पत्रांक–21/रा॰सू॰आ॰–05/2016,सा॰प्र॰ 11902/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 5.9.18

विषय:– राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना में दायर वाद संख्या–ए8043/2017 श्री निखिल कुमार सिंह, पटना बनाम् प्रथम अपीलीय प्राधिकार, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, जिला–गया/लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, जिला–गया में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित वाद में राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–23.07.2018 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पारित आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों को भेजते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनु॰:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

5/9/18

(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

March

राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन, चौथा तल्ला, बेली रोड, बिहार, पटना।
दूरभाष– 2215713, 2235059, 2200412, 2200426 फैक्स–2215466

वाद संख्या–ए–8043/17

श्री निखिल कुमार सिंह, पटना।
बनाम
प्रथम अपीलीय प्राधिकार, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, जिला–गया।/लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, जिला–गया।

23.07.2018 अपीलार्थी उपस्थित तथा उनके द्वारा बताया गया कि लोक सूचना पदाधिकारी के पत्रांक 221 दिनांक 22.02.18 द्वारा दी गयी सूचना से वे संतुष्ट नहीं है। पत्रांक 221 दिनांक 22.02.18 द्वारा परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय ने आवेदक को सूचित किया है कि किसी भी परीक्षा से संबंधित डिग्री आवेदक द्वारा प्राप्त करने के उपरांत संबंधित आवेदन विश्वविद्यालय के स्टोर रूम में लाखों आवेदनों के बीच रद्दी की तरह रख दी गयी है, जिसे खोज पाना मुश्किल है। परीक्षा नियंत्रक द्वारा दी गयी सूचना सर्वथा असंतोषजनक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (क) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों के सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनायें।

तदनुसार कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को धारा 20 (2) के अंतर्गत अनुशंसित किया जाता है कि वे इस वाद में आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध कराने में विलंब करने हेतु उत्तरदायी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। कुलपति, मगध विश्वविद्यालय को धारा 19 (8)(a)(iv) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निदेशित किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय के अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंधन एवं विनष्टि से संबंधित वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था में तीन माह के अंदर आवश्यक परिवर्तन करते हुए सुनिश्चित करें कि उत्तर पुस्तिकायें डिग्री अंक पत्र एवं अन्य आवश्यक कागजातों को विश्वविद्यालय के स्टोर रूम में रद्दी की तरह न रखते हुए उन्हें सूची पत्रित व अनुक्रमणिकाबद्ध करते हुए इस प्रकार रखा जाय कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनसे संबंधित सूचना मांगे जाने पर समयान्तर्गत सूचना प्रदान किया जा सके।

उपर्युक्त अनुशंसा के साथ वांछित सूचना को तात्कालिक तौर पर अनुपलब्ध मानते हुए अपील की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं धारा 4 (1) (क) व 'ख' का अनुपालन प्रत्येक लोक प्राधिकार में सुनिश्चित करने हेतु भेजा जाय।

ह0/–
(ओम प्रकाश)
राज्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक–3278 रा0सू0आ0 पटना, दिनांक–13/8 2018

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।/कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, जिला–गया।/लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, जिला–गया।/श्री निखिल कुमार सिंह, पिता–श्री नागेश्वर सिंह, पता–पुष्पा पैलेश, बी0 एरिया, मीठापुर, पटना–1 को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतू प्रषित।

(राम बालक ठाकुर)
प्रधान आप्त सचिव

1383/सा0-21
30/08/18